

2024/28

"खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र"
(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

14
24/11/24

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
नावा

विषय :- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती बाबत प्रार्थना पत्र।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम घरवागी की जमाबन्दी सम्वत् 2076-79
के खाता संख्या 10 में अँवरलाल पुज कालूराम जाति जाट
अंकन दर्ज है, अतः उक्त खाते में भूराशम पुज कालूराम
जाति जाट

अंकन करवाते हुए दुरुस्ती
किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें।
हस्ताक्षर प्रार्थी/हल्का पटवारी.....

रिपोर्ट पटवारी हल्का/भू. अभिलेख निरीक्षक/तहसीलदार/नायब तहसीलदार :-

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, नावा निवेदन है कि :-

ग्राम घरवागी की जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 के खाता संख्या 10 में

जमाबन्दी में अंकित वर्तमान प्रविष्टी	जमाबन्दी में की जाने वाली प्रस्तावित संशोधित प्रविष्टी
<u>अँवरलाल पुज कालूराम जाति जाट</u>	<u>भूराशम पुज कालूराम जाति जाट</u>

इस प्रकार जमाबन्दी में अंकित वर्तमान प्रविष्टी के स्थान पर प्रस्तावित संशोधित प्रविष्टी के अनुसार अंकन किये जाने उचित है। अतः प्रस्तावानुसार राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें।

पटवारी हल्का 10/11/24 भू.अभिलेख निरीक्षक 10/11/24 तहसीलदार नावा 10/11/24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) नावा, जिला नागौर कैम्प ग्रा.प.....

क्रमांक/प्र.गा.के.सं.अभि/2024/34

दिनांक 24 / 01 / 2024

आदेश

प्रार्थना पत्र मय रिकॉर्ड प्रस्तुत हुआ। रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पटवारी, भू.अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार नावा द्वारा की गयी रिपोर्ट से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नावा को आदेशित किया जाता है कि प्रस्तावानुसार राजस्व अभिलेख में नियमानुसार अंकन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी
नावा (सहायक कलक्टर)

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) नावा, जिला नागौर कैम्प ग्रा.प.....

क्रमांक/प्र.गा.के.सं.अभि/2021/

दिनांक / / 2021

मूल ही पटवारी हल्का को प्रेषित कर लेख है कि माफिक आदेश राजस्व अभिलेख में नियमानुसार अंकन कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

तहसीलदार (भू.अ.) नावा

